PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail: hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइटः www.ptcul.org

पत्रांकः 1975/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–5 दिनांकः 19.11.2024

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय कोटे के तहत सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध 07 रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 13.08.2023 को आयोजित लिखित परीक्षा के पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम के अनुक्रम में श्रीमती दीपा पालीवाल, कार्यालय सहायक–तृतीय (लेखा), परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, हल्द्वानी द्वारा दायर रिट पिटीशन संख्या 2159 Of 2023 (S/S) दीपा पालीवाल V/S पावर ट्राँसमिशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 एवं अन्य पर दिनांक 06.11.2024 को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में हुयी सुनवाई में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेशन आदेश संख्या 1935/मा0सं0एवं प्र0वि0/पिटकुल/एच–5 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 19.11.2024 को दी गयी आख्या के आधार पर पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम के अनुसार श्रेष्ठता सूची के अनुरूप उत्तीर्ण निम्नलिखित कार्मिक को सहायक लेखाकार (वेतनमान रू0 29800–94300, लेवल–5) के पद पर एतद्द्वारा चयनित/पदोन्नत किया जाता है:–

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय
1	2	3	4
1	202304	श्रीमती दीपा पालीवाल, कार्यालय सहायक–तृतीय (लेखा)	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, हल्द्वानी।

उपर्युक्त पदोन्नति आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं :–

1. उपरोक्त चयनित/पदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही सहायक लेखाकर के पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा पदोन्नति के फलस्वरूप उनके तैनाती आदेश बाद में निर्गत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में निर्वहन कर रहे कार्यदायित्वों का कार्यभार अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन करते रहेंगे, जिस हेतु उन्हे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुमन्य नहीं होगा।
2. उक्त पद पर चयनित/पदोन्नत एक अन्यत्र कार्मिक श्री अरूण कुमार आर्य के सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति आदेश कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1525/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–5 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिसके समरूपता में श्रीमती दीपा पालीवाल को सहायक लेखाकार के पद पर नोशनल पदोन्नति दिनांक 14.08.2023 से अनुमन्य होगी तथा उनके द्वारा चयनित/पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति सवैतनिक देय होगी।
3. उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक को इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. उपरोक्त पदधारक की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है तथा स्थानापन्न पदस्थिति में की गयी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।

क्रमशः............2

5. यदि उपरोक्त कार्मिक के विरूद्ध जॉच या अनुशासनिक कार्यवाहीं चल रही हो तो उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
6. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निदेशक (मा0सं0) कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. उपर्युक्त पदधारी की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के आधार पर अलग से निर्धारित कर निर्गत की जायेगी।
8. सहायक लेखाकार पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित कार्मिक निम्नलिखित घोषणा पत्र संलग्न प्रारूपों पर तीन प्रतियों में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि इनमें से दो प्रतियों को क्रमशः निदेशक (वित्त)/निदेशक (मा0सं0) को प्रत्येक पृष्ठ पर प्रतिहस्ताक्षरित कर अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।

घोषणा पत्रः–

(क) शादी–शुदा होने की स्थिति में एक ही पत्नी के साथ जीवन यापन करने की घोषणा।
(ख) कारपोरेशन में कार्यरत किसी व्यक्ति का सम्बन्धी न होने के सम्बन्ध में।
(ग) ऋृण–मुक्त होने के सम्बन्ध में।
(घ) समस्त चल–अचल सम्पत्ति आपके द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्यों द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित ग्रह सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट–क में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाए।
(ङ) कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित वचन पत्र परिशिष्ट–ख में निर्धारित प्रपत्र पर।
(च) राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/सम्बन्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट–ग में निर्धारित प्रपत्र पर।
(छ) परिवार के सदस्यों/आश्रितों की सूची परिशिष्ट–च में निर्धारित प्रपत्र पर।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1975/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–5, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल......................................।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)